

कार्यवृत्त

शुक्रवार, 02 श्रावण, शक संवत्, 1931
(दिनांक 24 जुलाई, 2009 ई0)

खण्ड-26
अंक-10

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि एक व्यक्ति जिसने माननीय सदस्य को धमकी दी वह खुलेआम देहरादून में घूम रहा है जबकि उसके खिलाफ वारन्ट जारी हुये हैं तथा सरकार ने तीन दिन में उसको गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन दिया था, किन्तु कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के लिए खड़े होने पर कांग्रेस के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नेता सदन द्वारा सदन में आकर वक्तव्य दिए जाने की मांग करने लगे। तदुपरान्त नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर कांग्रेस तथा बसपा के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। **घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा 11 बजकर 12 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी।**

11 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

12 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर कांग्रेस तथा बसपा के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे, जिससे व्यवधान होने लगा। श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी सदस्यों ने अपना-अपना स्थान ग्रहण नहीं किया।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई हैं। चूंकि 25 जुलाई, 2009 को प्रश्नकाल नहीं होगा और सूचनाएं भी नहीं ली जायेंगी। अतः सूचनाओं का आज अन्तिम दिन होने के कारण वे सभी सूचनाओं को स्वीकार कर रहे हैं, जो पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

1. श्री मनोज तिवारी

कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों के वेतन विसंगतियों के निराकरण न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्री किशोर उपाध्याय

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में की जा रही गड़बड़ी तथा पारदर्शिता न बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री सुरेन्द्र राकेश

जनपद हरिद्वार के ब्लाक भगवानपुर में बरसात के कारण अतिवृष्टि से सी0सी0 रोड एवं मार्गों के खराब होने पर दैवीय आपदा मद से तत्काल ठीक करवाने के सम्बन्ध में।

4. श्री महेन्द्र सिंह माहरा

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में श्री नरेश सिंह बिष्ट पुत्र श्री पदम सिंह बिष्ट निवासी फतेपुर पर बंजर भूमि पर ट्रैक्टर द्वारा अवैध खनन का आरोप लगाकर तहसीलदार द्वारा चालान किये जाने के सम्बन्ध में।

5. हाजी तसलीम अहमद देहरादून के टिहरी विस्थापितों के एम0डी0डी0ए0 कालोनी कांवली रोड में स्थित उजाड़ पार्को के रख-रखाव के सम्बन्ध में।
6. श्री दिनेश अग्रवाल जनपद देहरादून के सहस्त्रधारा रोड स्थित 4.047 हेक्टेयर में ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थल को पार्क के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में।
7. श्री गणेश जोशी जनपद देहरादून के अन्तर्गत ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान डी0ए0वी0 कालेज प्रबन्धन द्वारा शिक्षा की आड़ में की जा रही काली कमाई के सम्बन्ध में।
8. श्री रणजीत सिंह रावत उत्तराखण्ड प्रदेश में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को केन्द्र के समान ग्रेड पे दिये जाने के सम्बन्ध में।
9. कुंवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' सचिवालय में कार्यरत होमगार्ड्स को परिचारक के रिक्त पदों (संविदा) पर सम्बद्ध कराने के सम्बन्ध में।
10. श्रीमती अमृता रावत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरौखाल में राजकीय इण्टर कालेज फरसाड़ी के खण्डहर हो चुके भवन का पुनःनिर्माण/जीर्णोद्धार किये जाने के सम्बन्ध में।
11. श्रीमती आशा नौटियाल जनपद रुद्रप्रयाग के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊखीमठ के भवन निर्माण के कार्य में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
12. श्री गोपाल सिंह राणा उत्तराखण्ड में संविधान के 77 वें संशोधन अधिनियम, 1995 की व्यवस्थानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 20 एवं 21 अप्रैल, 2004 को हरिद्वार में पुलिस एवं जनता के मध्य हिंसा एवं तत्पश्चात् हुए संघर्ष एवं उच्छ्वल व्यवहार की घटनाओं की जांच हेतु गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री इरशाद हुसैन जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 23 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 24 से दिनांक 25 जुलाई, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

दिनांक 24 जुलाई, 2009 (शुक्रवार)

- | | | |
|---------------|----|--|
| अनुदान संख्या | 11 | दिनांक 23 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा (क्रमगत) और मतदान। |
| | 13 | जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। |
| | 16 | श्रम रोजगार विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। |
| | 05 | निर्वाचन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। |

अनुदान संख्या	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	25	खाद्य विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	08	आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	26	पर्यटन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	12	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
	22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

दिनांक 25 जुलाई, 2009 (शनिवार)

01	विधान सभा की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
03	मंत्रि-परिषद की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग और मतदान।	विवाद नहीं होगा।
07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
21	ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	
29	औद्योगिक एवं रेशम विभाग से सम्बन्धित विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।	

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

सरकारी संकल्प

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण, विचार एवं चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड में निवास करने वाली राय सिख जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाये। (15 मिनट)

प्रस्ताव

काजी मो0 निजामुद्दीन द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

“यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि सरकारी एवं अर्धसरकारी सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर ब्राहमण वर्ग को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाये।” (आधा घण्टा)

नियम-54 के अन्तर्गत सूचना

1. “उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण-पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलक राज बेहड़ एवं डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा। (एक घण्टा)
2. “टिहरी बांध निर्माण के कारण बांध प्रभावित क्षेत्र के लिए पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वर्तमान बजट में कोई प्रावधान न करके उपेक्षा किये जाने तथा उन योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, डा0 हरक सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत तथा श्री केदार सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा। (एक घण्टा)

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 09 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें वे 06 सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहे हैं। श्री अध्यक्ष द्वारा एक-एक कर माननीय सदस्यों का नाम पुकारा गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य ने अपनी सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में विचार व्यक्त नहीं किए।

नियम-58 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री गोपाल सिंह राणा, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री महेन्द्र सिंह माहरा की है, जो देहरादून के बसन्त विहार इलाके में गुरुवार को 5 हथियारबंद बदमाशों के ओ0एन0जी0सी0 के महाप्रबन्धक के घर में घुस कर डाका डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में हैं। इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, श्री मनोज तिवारी, श्री रणजीत सिंह रावत तथा श्री राजेश जुवांठा की भी सूचना है। श्री अध्यक्ष ने कहा कि उपरोक्त सूचना नियम-310 की परिधि में नहीं आती हैं। अतः वे इस सूचना को ग्राह्यता पर नहीं सुन रहे हैं।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री जोत सिंह गुनसोला की है, जो देहरादून स्थित डी0ए0वी0 महाविद्यालय में ए0बी0वी0पी0 के छात्रों द्वारा प्रधानाचार्य का विरोध करने के फलस्वरूप महाविद्यालय पर दिनांक 18 जुलाई, 2009 को ताले डाले जाने के सम्बन्ध में हैं। इसी विषय पर माननीय सदस्य, श्री गणेशी जोशी की सूचना नियम-300 के अन्तर्गत स्वीकार कर ली गई है। अतः वे इस सूचना को ग्राह्यता पर नहीं सुन रहे हैं। जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 35 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही कांग्रेस के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ को कथित अपराधी द्वारा धमकी दिये जाने के विरोध में चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 5 मिनट पर 3 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 3 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पुनः पीठासीन होने पर कांग्रेस तथा बसपा के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहने लगे। जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 23 जुलाई, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित अनुदान पर चर्चा एवं मतदान आगे जारी हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने श्री जोत सिंह गुनसोला का नाम पुकारा लेकिन उनके द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर उत्तर भाषण नहीं दिया गया। तदुपरान्त अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 21223902 हजार (दो हजार एक सौ बाईस करोड़ उन्तालीस लाख दो हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पेयजल मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3021379 हजार (तीन सौ दो करोड़ तेरह लाख उन्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-13 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्रम मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 347809 हजार (चौतीस करोड़ अठहत्तर लाख नौ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-16 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05, निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 57270 हजार (पांच करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-05 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-05 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 2915242 हजार (दो सौ इक्यान्वे करोड़ बावन लाख बयालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-06 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-25, खाद्य के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 156634 हजार (पन्द्रह करोड़ छियासठ लाख चौतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-25 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य आबकारी मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08, आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 51359 हजार (पांच करोड़ तेरह लाख उनसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-08 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-08 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 549968 हजार (चौवन करोड़ निन्यानवे लाख अड़सठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-26 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3178536 हजार (तीन सौ सत्रह करोड़ पचासी लाख छत्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-12 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-12 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14, सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 168169 हजार (सोलह करोड़ इक्यासी लाख उन्हत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-14 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य वन एवं परिवहन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 3693853 हजार (तीन सौ उनहत्तर करोड़ अड़तीस लाख तिरपन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-22 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 24 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 25 जुलाई, 2009 के उपवेशन के कार्यक्रम में सरकारी संकल्प के पश्चात् निम्नलिखित प्रस्ताव को सम्मिलित कर लिया जाय:-

“इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून तहसील विकास नगर के बिनहार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय।”

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

जनपद हरिद्वार में गत वित्तीय वर्ष का आवंटित धन समाज कल्याण विभाग द्वारा एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत अभी तक न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश राकेश की,

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पिरान कलियर शरीफ (दरगाह) में 24 घण्टे सरकारी चिकित्सक की व्यवस्था के सम्बन्ध में हाजी तसलीम अहमद की,

उत्तराखण्ड महाविद्यालयों में एवं ब्लाक स्तर पर उप पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष सूचीकार के पदों पर बी0लिव0, एम0लिव0 डिग्रीधारी छात्र-छात्राओं को नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में काजी मो0 निजामुद्दीन की,

उत्तराखण्ड के विकलांग कार्मिकों के लम्बित शासनादेशों के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय की,

विगत 14 वर्षों से प्रदेश में महिला डेरी कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी की,

देहरादून स्थित टिहरी विस्थापितों की एम0डी0डी0ए0 कालोनी कांवली रोड में सड़कों के पुनर्निर्माण एवं नाली के पानी की निकासी ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिदास की,

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि के भणज में कृषि केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आशा नौटियाल की, तथा

प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार की पेन्शनों का वितरण न होने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है।

नियम-53 के अन्तर्गत प्राप्त शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

घोर व्यवधान के ही मध्य राज्य में गाड़-गदरों पर पैदल पुलों के निर्माण व मरम्मत हेतु बजट प्राविधान न होने के कारण जनता को हो रही कठिनाईयों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य जनपद अल्मोड़ा में भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय में वर्षों से कार्यरत कनिष्ठ प्रवक्ता/विजिटिंग प्रशिक्षक नियत वेतन, संविदारत कर्मियों को नियमित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनोज तिवारी सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने केवल वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 25 जुलाई, 2009 के लिए निर्धारित मदों को आज दिनांक 24 जुलाई, 2009 के लिए स्वीकार कर लिया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01, विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परित्यक्तों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 105045 हजार (दस करोड़ पचास लाख पैंतालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03, मंत्रि परिषद के अन्तर्गत होने वाले परित्यक्तों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 201129 हजार (बीस करोड़ ग्यारह लाख उनतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-03 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परित्यक्तों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 582680 हजार (अठ्ठावन करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परित्यक्तों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 13408710 हजार (एक हजार तीन सौ चालीस करोड़ सत्तासी लाख दस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-07 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य नगर विकास एवं पर्यटन मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परित्यक्तों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 3267897 हजार (तीन सौ छब्बीस करोड़ अठहत्तर लाख सत्तानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-10 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21, ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परित्यक्तों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रुपये 3322251 हजार (तीन सौ बत्तीस करोड़ बाइस लाख इक्यावन हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-21 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह कहते हुए कहा कि सरकार माननीय सदस्यों की सुरक्षा न कर सके, ऐसी सरकार पर उन्हें विश्वास नहीं है जो प्रदेश की सत्ता चला सके। इसलिए वे और उनका दल सदन से वाक आउट कर रहा है, कांग्रेस तथा बसपा के सभी सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23, उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 371477 हजार (सैंतीस करोड़ चौदह लाख सतहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-23 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29, औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त **रूपये 487942 हजार (अड़तालीस करोड़ उन्यासी लाख बयालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-29 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किये जाने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 को पुरःस्थापित किया।

विधेयक की प्रतियां वितरित की गयीं।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, अनुसूची खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2009 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड में निवास करने वाली राय सिख जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश की जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड के जनपद देहरादून, तहसील विकास नगर के बिनहार क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि :-

“विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 114/वि0स0/394/संसदीय/2009, दिनांक 23 जून, 2009 तथा 150/वि0स0/394/संसदीय/2009, दिनांक 15 जुलाई, 2009 के क्रम में इक्फाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, देव संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2009, हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009, पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (संशोधन) विधेयक, 2009 तथा पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2003 (संशोधन) विधेयक, 2009 पर गठित विधान सभा की प्रवर समिति का कार्यकाल आगामी एक माह तक के लिए बढ़ा दिया जाय।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि दिनांक 20 जुलाई, 2009 को माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा औद्योगिक संस्थानों द्वारा रसायन युक्त जल को भूमि में बोरिंग कराकर डालने के कारण हरिद्वार जनपद में आस-पास के गांवों का पेयजल दूषित होने के सम्बन्ध में दी गई सूचना और पीठ से दी गई व्यवस्था के क्रम में माननीय संसदीय कार्य एवं पेयजल मंत्री से सूचना प्राप्त हो गई है। जिसके अनुसार वन एवं पर्यावरण विभाग से कराई गई जांच रिपोर्ट में जांच के परिणामों में संदर्भित औद्योगिक क्षेत्रों के समीप विभाग द्वारा अनुरक्षित की जा रही पेयजल योजनाओं में पेयजल की गुणवत्ता ठीक है और सभी पैरामीटर निर्धारित सीमा के अन्तर्गत हैं।

श्री अध्यक्ष ने उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को जाति प्रमाण-पत्र लेने में आ रही परेशानियों के सम्बन्ध में, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तिलक राज बेहड़ एवं डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा को स्थगित किया।

श्री अध्यक्ष ने टिहरी बांध निर्माण के कारण बांध प्रभावित क्षेत्र के लिये पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा वर्तमान बजट में कोई प्रावधान न करके, उपेक्षा किये जाने तथा उन योजनाओं को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय, डा० हरक सिंह रावत, श्री रणजीत सिंह रावत तथा श्री केदार सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-54 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा को स्थगित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि (1) कुंवर प्रणव सिंह “चैम्पियन” माननीय सदस्य ने अपने पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 2008 को माननीय गन्ना मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है।

उपर्युक्त सूचना में माननीय सदस्य का कथन है कि वर्ष 2007 के दिनांक 21 नवम्बर, 2007 के उपवेशन की कार्यसूची में मद संख्या-11 के दौरान श्री मदन कौशिक, गन्ना मंत्री द्वारा सदन में घोषणा की गई थी कि वर्ष 2007-08 के पैराई सत्र हेतु गन्ने की फसल का भुगतान मूल्य रु० 127/- प्रति क्विंटल (मिल गेट पर) साधारण प्रजाति हेतु तथा अगेती प्रजाति हेतु रु० 132/- प्रति क्विंटल (मिल गेट पर) की दर से निश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही गन्ने का भुगतान उत्तर प्रदेश से रु० 2/- क्विंटल ज्यादा किया जायेगा, लेकिन उनके द्वारा इस ओर कोई शासनादेश तत्काल जारी नहीं किया गया, बल्कि गन्ना किसानों को भुगतान रु० 110 प्रति क्विंटल की दर से किया गया। उक्त वर्ष के लिए किसानों को जारी पर्ची पर गन्ने की प्रजाति तथा दर एवं भुगतान के वर्ष का भी उल्लेख नहीं किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण माननीय गन्ना मंत्री द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 फरवरी, 2009 द्वारा अवगत कराया गया कि पैराई सत्र 2007-08 के लिए शासनादेश संख्या 17/2008/XIV-2-28/2006, दिनांक 20 जनवरी, 2008 द्वारा अगेती प्रजाति हेतु रु० 132/- प्रति क्विंटल एवं सामान्य प्रजाति हेतु रु० 127/- प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य दर निर्धारित किया गया। इस सम्बन्ध में राज्य की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 204(एम0एस0)/2008, एवं रिट याचिका संख्या 208(एम0एस0)/2008 दायर की गयी, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के निर्णयादेश दिनांक 31 मार्च, 2008 में उक्त शासनादेश द्वारा घोषित गन्ना मूल्य की दर के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय दिया गया है।

उक्त निर्णयादेश के विरुद्ध राज्य की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 संख्या 10516-10517 दायर की गई, जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15 मई, 2008 को अन्तरिम आदेश पारित किया कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के अन्तरिम आदेशानुसार चीनी मिलें रु0 110.00 प्रति क्विंटल की दर से गन्ना मूल्य का भुगतान करें। तदक्रम में शासनादेश संख्या-गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग/114, दिनांक 04 जून, 2008 द्वारा सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीन मिलों को भी निर्देशित किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रकरण लम्बित होने के कारण ही चीनी मिलों में पर्ची में कैन प्रार्इस पेबल एज पर डिसिजन ऑफ द कोर्ट लिखा होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश के अनुसार निम्नवत् कहा है-

“.....दैट फार द कशिंग इयर 2007-08 द रेट फिक्स्ड बाई द लखनऊ बेंच आफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट शैल बी एप्लीकेबल एण्ड द मेन्यूफैक्चर्स शैल पे द एमाउन्ट पेबल एट द रेट फिक्स्ड बाई द लखनऊ बेंच आफ्टर एउजस्टमेन्ट आफ एमाउन्ट आलरेडी पेड इन दैट रिगार्ड। द बैलेन्स, इफ एनी, शैल बी पेड विदइन ए पीरियड आफ फोर वीक्स.....”।

तदनुसार कुछ चीनी मिलों द्वारा घोषित मूल्य का पूरा भुगतान नहीं किया गया है, वरन् माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार किया गया। संदर्भित एस0एल0पी0 में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अन्तिम निर्णय पारित होने पर ही पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उक्त पेटाई सत्र के लिए किसानों को जारी पर्ची पर गन्ने की प्रजाति एवं भुगतान के वर्ष का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार किसी भी बिन्दु पर माननीय सदन की अवमानना नहीं की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण में माननीय सदस्य की उक्त सूचना तथा माननीय गन्ना मंत्री से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले का न तो सदन से कोई सम्बन्ध होता है और न ही सदन में विचाराधीन मामले का माननीय न्यायालय से। अतः तकनीकी दृष्टि से भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में सदन अथवा माननीय सदस्य के अवमान का कोई प्रश्न अन्तर्गत नहीं है। वे उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन या सदन का अवमान के रूप में अस्वीकर करते हैं।

(2) श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी।

श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 24 फरवरी, 2009 द्वारा यह अभिसूचित किया गया था कि दिनांक 19 फरवरी, 2009 को उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अंजनीसैण-पुनाणु पुनः निर्माण एवं सुधार तथा काण्डांडागी-मरोड़ा-खस्तल मोटर मार्ग में भी उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी।

श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी उक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में चली आ रही परम्परानुसार जिलाधिकारी, टिहरी ने अपने पत्र दिनांक 06 मई, 2009 द्वारा सूचित किया कि जिला कार्यालय एवं अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, टिहरी के पत्रांक मेमै/25एम0जी0, दिनांक 17 फरवरी, 2009 द्वारा क्षेत्रीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय को कार्यक्रम की सूचना उपलब्ध करा दी गयी थी। साथ ही साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी उक्त कार्यक्रम का प्रचार एवं प्रसार किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-243/XXXI(13)/G/08-39(2)/2008, दिनांक 19 जून, 2008 द्वारा राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से सम्बन्धित कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन/लोकार्पण के सम्बन्ध में प्रोटोकाल से सम्बन्धित विस्तृत दिशा-निर्देश सभी संबंधित प्राधिकारियों को जारी किये गये हैं।

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के भ्रमण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों की जानकारी जिलाधिकारी द्वारा माननीय सदस्य को उपलब्ध करायी गयी थी तथा समाचार पत्रों के माध्यम से भी कार्यक्रम प्रचारित किया गया था। साथ ही शिलापटों पर कार्यक्रमों की अध्यक्षता में माननीय सदस्य का नाम अंकित है। इससे यह आभास नहीं होता है कि कार्यक्रमों में माननीय सदस्य की अनदेखी की गयी है।

अतः तथ्यों के आलोक में वे, प्रश्नगत सूचना को विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करते हैं।

(3) श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री मनोज तिवारी, श्री करन माहरा एवं श्री रणजीत सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2009 को संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई।

श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा एवं श्री रणजीत सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 24 फरवरी, 2009 द्वारा यह अभिसूचित किया गया कि दिनांक 15 फरवरी, 2009 को उनके विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किये गये, जिसकी कोई सूचना माननीय सदस्यों को नहीं दी गयी। माननीय सदस्यों के अनुसार यह विशेषाधिकारों के साथ-साथ सीधे-सीधे पीठ के निदेशों के उल्लंघन का भी प्रकरण है जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी।

श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री मनोज तिवारी, श्री करन मेहरा एवं श्री रणजीत सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने पत्र दिनांक 01 जून, 2009 द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ने अपने पत्र संख्या 5060/मा0मु0घो0-सीडीसी/2008-09, दिनांक 12 मई, 2009 द्वारा सूचित किया है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2009 को जनपद अल्मोड़ा में भ्रमण की सूचना पत्र संख्या 3050/बारह-13/2008-09, दिनांक 13 फरवरी, 2009 द्वारा जनपद के समस्त विधायकगणों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गयी थी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि शासनादेश संख्या 243/XXXI(13)/G08-39(2)/2008, दिनांक 19 जून, 2008 द्वारा राज्य में विभिन्न शासकीय विभागों से संबंधित कार्यों के शिलान्यास एवं उद्घाटन/लोकार्पण के सम्बन्ध में प्रोटोकाल से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश सभी संबंधित प्राधिकारियों को जारी किये गये हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी सूचना तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गयी वस्तुस्थिति की जानकारी से स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री के भ्रमण एवं शिलान्यास कार्यक्रमों की जानकारी जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त विधायकगणों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गयी थी। साथ ही आख्या से यह भी स्पष्ट है कि जनपद के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायकों द्वारा प्रस्तावित था जिस कारण विधायकगणों के नाम शिलापट्ट में सम्मिलित किये गये। उक्त के आलोक में कहीं भी ऐसा आभास नहीं होता है कि इन कार्यक्रमों में माननीय विधायकों की अनदेखी की गयी हो। अतः वे प्रश्नगत प्रकरण को विशेषाधिकार हनन के रूप में अग्राह्य करते हैं।

(4) श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2008 को सदन में औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि “प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य” में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में निदेश दिये हैं कि पुलिस अधिकारियों के आचरण एवं कृत्यों तथा ज्यादतियों के बारे में शिकायतों को सुनने के लिए राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर अलग-अलग पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। इन निर्देशों के पालन में शासन द्वारा दो जिला शिकायत प्राधिकरणों का गठन भी कर दिया गया था परन्तु राज्य में जो पुलिस अधिनियम बनाया गया है उसमें जिला स्तरीय प्राधिकरण की व्यवस्था न होने के कारण इन्हें समाप्त कर दिया गया। इससे जहां उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है वहीं संविधान के अनुच्छेद 141 का भी उल्लंघन हुआ है, जिसके अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए आबद्धकर है। अतः औचित्य के इस प्रश्न पर चर्चा और विनिश्चय की मांग श्री चौहान द्वारा की गयी थी।

इस सम्बन्ध में दिनांक 20 दिसम्बर, 2008 को सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका 310/1996 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया तथा अन्य में प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के गठन के निर्देश दिये गये थे। इन प्राधिकरणों में जिला स्तर पर गठित पुलिस से सम्बन्धित उत्पीड़न की शिकायत जिला पुलिस प्राधिकरण में तथा राज्य स्तर पर राज्य पुलिस प्राधिकरण में सुने जाने के निर्देश थे। वर्तमान में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 को अधिनियमित किया जा चुका है और इसके माध्यम से पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड छोटा राज्य है तथा इस राज्य का बृहत क्षेत्र

राजस्व पुलिस में आता है। इसलिए इसमें 13 अलग-अलग पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठन करने का औचित्य नहीं पाया गया, क्योंकि राज्य के पास अपने सीमित साधन हैं तथा पुलिस के पास जो शिकायत आती है उनकी संख्या भी सीमित है। इसलिए राज्य में जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित किया गया है उसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य के लिए है। इस प्रकरण में माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा भी अवगत कराया गया कि जहां तक प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया का प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, उस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान में एक समिति का गठन सम्पूर्ण व्यवस्था के अनुश्रवण तथा पुनरीक्षण के लिए किया गया है। यह समिति राज्यों के द्वारा बनायी गयी पुलिस शिकायत प्राधिकरण की समीक्षा करके माननीय उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट देगी और इस प्रकार प्राधिकरण के गठन का प्रकरण अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रश्नगत विषय पर चर्चा किये जाने का औचित्य नहीं है। उठाये गये औचित्य के उपर्युक्त प्रश्न पर निर्णय सुरक्षित रखा गया था।

शासन के पत्र दिनांक 12 फरवरी, 2009 द्वारा उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त जानकारी के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि रिट याचिका संख्या 310/1996 प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित माननीय थामस कमेटी के समक्ष राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से भी अवगत कराया गया है। राज्य सरकार द्वारा माननीय थामस कमेटी के समक्ष रखे गये पक्ष में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि राज्य की वित्तीय स्थिति, विशिष्ट परिस्थिति तथा पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शिकायतों की संख्या को देखते हुए जिला स्तर पर शिकायत प्राधिकरणों का गठन उपयुक्त नहीं समझा गया।

चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन के व्यवहारिक पक्ष पर विचार करने हेतु स्वयं ही माननीय थामस कमेटी का गठन किया जिसके समक्ष राज्य सरकार द्वारा अपना पक्ष सुतथ्यतया रख दिया गया है। इस सम्बन्ध में औचित्य का कोई प्रश्न बनता प्रतीत नहीं होता है। अतः श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन सदस्य विधान सभा द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य किया जाता है।

(5) श्री मुन्ना सिंह चौहान, तत्कालीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2009 को सदन में औचित्य का प्रश्न उठाया गया कि प्रदेश सरकार ने उधार लेने के लिए बाण्ड जारी किये हैं जबकि भारत का संविधान के अनुच्छेद-293 में यह प्राविधानित है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र से उस सीमा तक ही ऋण लिये जा सकते हैं जो सीमा विधान मण्डल निर्धारित करे और चूंकि विधान मण्डल में एतद्वारा कोई चर्चा नहीं हुई है। और न ही ऋण की सीमा का निर्धारण विधान मण्डल द्वारा किया गया है, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र से ऋण प्राप्त करने हेतु बाण्ड जारी किये जाने से संवैधानिक विसंगति पैदा हो गयी है।

उपर्युक्त सूचना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद-293 में उल्लिखित है कि इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य की कार्यपालिका शाक्ति का विस्तार, उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हो, राज्य का विधान मण्डल समय-समय पर विधि द्वारा नियम करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हों, जिन्हें, इस प्रकार नियत किया जाय, प्रतिभूति देने तक है। इससे स्पष्ट है कि राज्य का विधान मण्डल ऐसी कोई सीमा विधि द्वारा नियत करता है, कानून बनाता है और उधार लेने की सीमाओं के भीतर कोई निर्धारण करता है तो उस स्थिति पर सरकार उसके ही आधार पर निर्देशित होगी और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी उपलब्धता है कि अगर राज्य को कोई उधार लेना पड़ता है तो इसके लिए भारत सरकार निर्धारित करती है कि कितना ऋण उसको लेना है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2008-09 के लिए भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित बाजार ऋण है वह एक हजार दस दशमलव उनहत्तर करोड़ निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड द्वारा नौ सौ सोलह दशमलव उनहत्तर करोड़ ऋण लिया गया है। इस प्रकार सरकार अभी भी चौरानबे करोड़ रुपये उधार ले सकती है परन्तु सरकार ने इस ऋण को लेने का निर्णय नहीं लिया है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकार कहीं भी संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है।

औचित्य के उपर्युक्त प्रश्न पर निर्णय सुरक्षित रखा गया था।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दिये गये उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य हित में विधि सम्मत तथा नियमों के अधीन विकास योजनाओं के उद्देश्यों से ऋण लिये जाते हैं जिसकी एक सीमा होती है। यह भी स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बाजार ऋण के अधीन ही राज्य सरकार द्वारा ऋण लिये जाते हैं और यह राज्य हित में है।

भारत का संविधान के अनुच्छेद 293 (1) के प्राविधानों के आलोक में यह स्पष्ट है कि आय-व्ययक सम्बन्धी विनियोग प्रस्तुत करते समय यदि सार्वजनिक क्षेत्र से लिये जाने वाले ऋण की सीमा का भी उल्लेख हो तो उक्त अनुच्छेद के प्राविधानों की पूर्ति होती परिलक्षित होती है। चूंकि राज्य हित में सार्वजनिक क्षेत्र से लिये जा रहे ऋण में कोई कदाशयता परिलक्षित नहीं होती है। अतः श्री मुन्ना सिंह चौहान तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न को वे अग्राह्य करते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

“राष्ट्रगान” के उपरान्त सदन का उपवेशन 4 बजकर 24 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
हरबंस कपूर,
अध्यक्ष,
विधान सभा।